भारत सरकार **Government of India**

रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**

(रेलवे बोर्ड) **Railway Board**

Officer Order No.32 of 2021

Sub:-Allocation of work to the Ministers of State in the Ministry of Railways

---

The Minister of Railways has allocated the following work to Ministers of State for Railways Shri Danve Raosaheb Dadarao- MOSR(D) and Smt Darshana Vikram Jardosh-MOSR(J) :

I. Cases to be put up to the Minister of Railways through MOSR(D):

a) Replies to Starred & Unstarred Parliament Question;
b) Calling Attention Motion;
c) Cases of Directorates/Departments under Member/Infra, Member/T&RS, DG/RHS & DG/Safety which are beyond the powers of Board Members/DGs;
d) CCEA/Cabinet Notes in respect of para (c) above.

II. Matters to be disposed of at the level of MOSR(D):

a) DAR cases of Group B, C & erstwhile Group 'D' Categories of staff where the President is the Disciplinary/Appellate/Reviewing authority;
b) Matters relating to Official Language;
c) Monitoring of Railway development works in the following States/UTs:- Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Goa, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana and Tripura;
d) Review of PSUs/PUs :- DFCCIL, RVNL, IRCON, KRCL, MRVC, BLW, DLMW, IRSDC & CLW;
e) All Parliamentary matters related to Assurances, laying of Reports/Regulations/Rules, Authentication of Papers, Replies to Hon'ble MPs under Rule 377 etc.

III. Cases to be put up to the Minister of Railways through MOSR(J):

a) Cases of Directorates/Departments under Member/O&BD, Member/Finance, DG/HR and DG/RPF which are beyond the powers of Board Members/DGs;
b) CCEA/Cabinet Notes on above;
c) Matters related to Wi-fi and High Speed Rail (HSR).

IV. Matters to be disposed of at the level of MOSR(J):

(a) Monitoring of Railway development works in the following states/UTs:- Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal;
(b) Review of PSUs/PUs:- RAILTEL, CONCOR, IRCTC, RITES, NHSRCL, IRFC, ICF, RCF and RWF;
(c) Staff Welfare and Labour Legislations;
(d) Matter relating to Public Grievances & Staff Grievances (other than DAR);
(e) All Parliamentary matter in the absence of MOSR(D).

2. Cases to be submitted directly to the Minister of Railways :

(a) VIP References addressed to the Minister of Railways;
(b) Approval for posting of officers in SAG and above in Railway Board and posting orders beyond powers of Railway Board;
(c) Approval of postings of officers as DRM and AGM;
(d) All proposals requiring ACC approval;
(e) Approval of panels for promotion to JAG & above posts;
(f) Any other cases & urgent/immediate matter.

3. It may be ensured that all files are submitted/ routed to the Ministers strictly in accordance with this allocation of work.

4. This issues with the approval of the Minister of Railways.

No. 2019/O&M/8/2
Dated: 16.07.2021

(R.N.Singh)
Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office and at Dayabasti.

Copy to:

i. **Principal Secretary to the Prime Minister.**
ii. **Cabinet Secretary**
iii. **PS/MR, PS/MOSR(D), PS/MOSR(J), EDPG/MR, OSD/MR**

Copy for information to:

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units etc.
DG/RDSO, DG/NAIR.

भारत सरकार / Government of India

रेल मंत्रालय / Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

2021 का कार्यालय आदेश सं.32

विषय: रेल मंत्रालय में राज्य मंत्रियों को कार्य का आबंटन।

रेल मंत्री जी द्वारा रेल राज्य मंत्री श्री दानवे रावसाहब दादाराव - एमओएसआर (डी) और श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश - एमओएसआर (जे) को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:

I. **रेल मंत्री को रेल राज्य मंत्री (डी) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले मामले:**

(क) तारांकित और अतारांकित संसदीय प्रश्नों के उत्तर;

(ख) ध्यानार्थ प्रस्ताव;

(ग) सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं और महानिदेशक/संरक्षा के अधीन निदेशालयों/विभागों के मामले, जो बोर्ड सदस्यों/महानिदेशकों की शक्तियों के बाहर हों;

(घ) उपर्युक्त पैरा (ग) के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को भेजे जाने वाले मंत्रिमंडल नोट।

II. **रेल राज्य मंत्री (डी) के स्तर पर निपटाए जाने वाले मामले:**

(क) ग्रुप बी, सी और पूर्ववर्ती ग्रुप डी कोटि के कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियमों संबंधी मामले, जिनमें माननीय राष्ट्रपति अनुशासनिक/ अपीलीय/समीक्षा प्राधिकारी हों;

(ख) राजभाषा से संबंधित मामले;

(ग) निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे के विकास संबंधी निर्माण कार्यों की निगरानी:- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उत्पादन इकाइयों की समीक्षा:- डीएफसीसीआईएल, आरवीएनएल, इरकॉन, केआरसीएल, एमआरवीसी, बीएलडब्ल्यू, डीएलएमडब्ल्यू, आईआरएसडीसी और सीएलडब्ल्यू;

(ङ) आश्वासनों से संबंधित सभी संसदीय मामले, रिपोर्ट/विनियम/नियम प्रस्तुत करना, कागज़ातों का प्रमाणीकरण, नियम 377 आदि के अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों को उत्तर देना।

III. **रेल मंत्री को रेल राज्य मंत्री (जे) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले मामले:**

(क) सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/वित्त, महानिदेशक/मानव संसाधन और महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल के अधीन निदेशालयों/विभागों के मामले, जो बोर्ड सदस्यों/महानिदेशकों की शक्तियों के परे हों;

(ख) उपर्युक्त पर आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को भेजे जाने वाले मंत्रिमंडल नोट;

(ग) वाई-फाई और हाई स्पीड रेल (एचएसआर) से संबंधित मामले।

IV. <u>रेल राज्य मंत्री (जे) के स्तर पर निपटाए जाने वाले मामले:</u>

(क) निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में रेलवे के विकास संबंधी निर्माण कार्यों की निगरानी:- बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उत्पादन इकाइयों की समीक्षा:- रेलटेल, कॉनकोर, आईआरसीटीसी, राइट्स, एनएचएसआरसीएल, आईआरएफसी, आईसीएफ, आरसीएफ और आरडब्ल्यूएफ;

(ग) कर्मचारी कल्याण और श्रम कानून;

(घ) जन शिकायतों और कर्मचारी शिकायतों (अनुशासन एवं अपील नियमों से इतर) से संबंधित मामले;

(ङ) रेल राज्य मंत्री (डी) की अनुपस्थिति में सभी संसदीय कार्य।

2. <u>सीधे रेल मंत्री को प्रस्तुत किए जाने वाले मामले:</u>

(क) रेल मंत्री को संबोधित वीआईपी संदर्भ;

(ख) रेलवे बोर्ड में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उससे ऊपर के ग्रेड के अधिकारियों की तैनाती का अनुमोदन और रेलवे बोर्ड की शक्तियों के परे के तैनाती आदेश;

(ग) मंडल रेल प्रबंधक और अपर महाप्रबंधक के रूप में अधिकारियों की तैनाती का अनुमोदन;

(घ) नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अपेक्षित अनुमोदन के सभी प्रस्ताव;

(ङ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उससे ऊपर के पदों पर पदोन्नति के लिए पैनल का अनुमोदन;

(च) कोई अन्य मामले और अत्यावश्यक/तत्काल मामले।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रियों को सभी फाइलें इस कार्य आबंटन के अनुसार ही प्रस्तुत की जाएं।

4. इसे रेल मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2019/ओ एंड एम/8/2
दिनांक: 16.07.2021

(आर.एन. सिंह)
सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

<u>प्रतिलिपि:</u>

i. **प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव।**
ii. **मंत्रिमंडल सचिव।**
iii. **निजी सचिव/रेल मंत्री, निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (डी), निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (जे), का.नि.जनशिकायत/रेल मंत्री, वि.का.अधि./रेल मंत्री**

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ:</u>

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।
महानिदेशक/आरडीएसओ, महानिदेशक/एनएआईआर